ए/2-16/2001- भा.व.सं.
भारतीय वन्यजीव संस्थान
चन्द्रबनी, देहरादून

दिनांक : जुलाई, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी काम-काज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2025-2026 के सम्बन्ध में

राजभाषा हिंदी में सरकारी कामकाज को प्रोत्साहित करने हेतु, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय की स्वीकृति से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कार्यरत नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, उनके द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान मूल रूप से हिंदी में किए गए कार्य जैसे टिप्पण एवं आलेखन की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से, यह प्रोत्साहन योजना पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी **01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026** तक लागू की जा रही है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

2.पात्रता

क. संस्थान में कार्यरत सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं, जो अपने सरकारी कार्य पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से मूल रूप से हिंदी में करते हैं।

ख. केवल वे अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे, जो वर्ष में **न्यूनतम 20,000 शब्द** हिंदी में लिखेंगे। इसमें टिप्पण, प्रारूप, पंजी में इंद्राज, सूची निर्माण, लेखांकन आदि जैसे कार्य, जिनका सत्यापन किया जा सके, शामिल होंगे।

ग. वे आशुलिपिक/टाइपिस्ट जो हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी अन्य किसी योजना के अंतर्गत पहले से लाभान्वित हैं, इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

घ. राजभाषा प्रभाग में कार्यरत वे अधिकारी/कर्मचारी, जो सामान्यतः अपना कार्य हिंदी में करते हैं, भी इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

3. पुरस्कार

पुरस्कार राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

1. प्रथम पुरस्कार (02 उम्मीदवार) : 5000/- रूपये प्रत्येक

2. द्वितीय पुरस्कार (03 उम्मीदवार) : 3000/- रूपये प्रत्येक

3. तृतीय पुरस्कार (05 उम्मीदवार) : 2000/- रूपये प्रत्येक

4. मूल्यांकन समिति :

हिंदी में किए गए काम-काज के मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी, जो इस प्रकार होगी :

1. कुलसचिव, अध्यक्ष

2. उप कुलसचिव, सदस्य

3. सहायक निदेशक (राजभाषा), सदस्य सचिव

परिस्थिति के अनुसार मूल्यांकन समिति के गठन में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

5. पुरस्कार देने के लिए मापदण्ड

क. मूल्यांकन करने के लिए **100 अंक** रखे जाएंगे। इनमें से **70 अंक हिंदी में किए गए काम** की मात्रा और **30 अंक विचारों की स्पष्टता** के लिए होंगे।

ख. जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उडिया या असमिया हो उन्हें **20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों** का लाभ दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को दिये जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निधार्रण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।

ग. प्रतियोगी प्रतिदिन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गये शब्दों का लेखा-जोखा रखेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर संबंधित उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

घ. पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की **सेवा-पंजिका** में भी समुचित उल्लेख किया जायेगा |

ङ. प्रत्येक इच्छुक एवं पात्र अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हिंदी में किए गए अपने काम-काज का लेखा-जोखा सत्यापन करने वाले अधिकारी के माध्यम से, वित्त वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद **दिनांक 10 अप्रैल, 2026 तक सहायक निदेशक (राजभाषा)** को जमा किया जाएगा ताकि वे उसे मूल्यांकन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत कर सकें।

जॉनसन
14.7.25

(**डॉ. जे. ए. जॉनसन**)
कुलसचिव,
भारतीय वन्यजीव संस्थान

वितरण

1. निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव
2. वित्त अधिकारी
3. उप कुलसचिव
4. संस्थान के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी
5. आईटी अनुभाग प्रमुख – इसे संस्थान के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।